न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 30/2019 दायरा दिनांक : 17.05.2019

उनवान

भगवान सिंह आयु 46 साल आत्मज बद्रीसिंह, जाति राजपूत, निवासी लसूडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बालू सिंह आयु 30 साल । पिसरान बद्रीसिंह, जाति राजपूत,

2– श्यामसिंह आयु 26 साल । निवासी लसूडिया, तहसील गंगधार,

3– कमलाबाई बेवा बद्रीसिंह, जाति राजपूत, निवासी लसूडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी. एल. माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिससे वाद संख्या – 00118/2018 वास्ते 53, 88, 89 विभाजन, घोषणा का वाद स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 24.02.2023**

1 **वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –**

2 ग्राम लसुडिया पटवार क्षेत्र तिसाई, तहसील गंगधार की जमाबंदी संख्या 158 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 16 बिस्वा कुल दो किता रकबा 6 बीघा कृषि भूमि मौजूदा समय में प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है, वाद पत्र इसी भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र में इस भूमि को वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। नकल जमाबंदी संख्या 158 ग्राम लसूडिया सम्वत 2068–2071 सलंग्न वाद पत्र है।

3 वादी कम 1 व 2 बालूसिंह, श्याम सिंह तथा प्रतिवादी भगवान सिंह आपस में सगे भाई हैं तथा बद्री सिंह पुत्र कालू सिंह की संतान (पुत्र है) वादिनी कमला बाई मृतक खातेदार बद्री सिंह की विवाहिता पत्नी है। मृतक खातेदार बद्रीसिंह ने दो विवाह किए थे। प्रतिवादी भगवान सिंह दरयाव बाई से एवं वादी 1 व 2 कमला बाई से पुत्र हैं। वादीगण बालू सिंह, श्याम सिंह मृतक खातेदार बद्री सिंह के ससर्ग से वादनी कमला बाई से उत्पन्न संतान पुत्र है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी 1 की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हित हिस्सा नोशनल शेयर है। 1/2 हित हिस्से के वादीगण खातेदार कृषक हैं। 1/2 हित हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त हक अधिकार ऐलानिया निरन्तर बइल्म प्रतिवादी नं. 1 है।

5 वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हित हिस्से की भूमि वादीगण का नाम (खाते) दर्ज कराने के लिए प्रतिवादी नं. 1 से निरन्तर अनुनय विनय करते रहे किन्तु वह बहाने बाजी कर टालमटूल करता रहा है। यही वाद का कारण है।

6 वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हित हिस्से के खातेदार कृषक घोषित होने की पात्रता रखते हैं। सरकार को लैण्ड होल्डर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

7 वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम लसुडिया पटवार क्षेत्र तिसाई, तहसील गंगधार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 16 बिस्वा कुल दो किता रकबा 6 बीघा के 1/2 हित हिस्से का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। राजस्व रेकार्ड में से प्रतिवादी नं. 1 का नाम 1/2 से कम फरमाया जावे।

8 विवादित आराजी का 1/2 व 1/2 वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाते लगान कायम फरमाया जावे। वादीगण के हित हिस्से पर आई भूमि पर मौके पर कब्जा व दखलादंजी भी वादीगण को संभलाया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू--प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

10 पत्रावली राजस्व लोक अदालत तिसाई में पेश हुई। वादी उप0 व प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को रूक रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गई। अनुपस्थित रहे। इससे पूर्व भी दिनांक 07.12..2016 को प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है। वादीगण को मौखिक सुना गया ।

11 वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम लसूडिया के खसरा नम्बर 72 रकबा 5.04 बीघा एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 0.16 बीघा कुल किता 2 रकबा 6.00 बीघा आराजी स्थित है। जो हमारे बाप दादा की पैतृक आराजी है। हमारे पिता बद्री द्वारा हमारे बडे भाई प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हमारे जन्म से पूर्व ही खाते दर्ज करवा दी थी । जिसमें हमारा हिस्सा भी निहित है। हम सभी एक ही पिता की संताने हैं जिस पर हमारा भी हित हिस्सा बनता है। अतः हमें भी 1/2 का खातेदार घोषित किया जावे तथा हमारे पिता ब्रदीसिंह द्वारा दो विवाह किये हैं जिनके दो पत्नियां कमला बाई व दरयाव बाई है। कमला बाई मौजूद है तथा दरयाब बाई फौत हो चुकी है तथा हमारे पिता बद्री सिहं भी फौत हो चुके हैं।

12 मेरे पिता बद्री सिंह के पिता का नाम कालू सिंह व कालू सिंह के पिता का नाम हिन्दू सिंह है। कालू सिंह हमारे दादा जी हैं तथा हिन्दू सिंह हमारे परदादा है जो जमाबंदी संवत 2019–21 व 2022 संवत 2025 से साबित होता है। जिसकी नकले हमने पेश की है तथा मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 72 का साबिक नं. 39 मिन व 218 का साबिक नं. 174 मि. था जिससे उक्त खसरा नम्बर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

72 व 218 बने हैं। अतः हम वादीगण का कब्जा भी 1/2 आराजी पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। हमें खातेदार घोषित करने की कृपा करें।

13 हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी 2019–21 व 2022 से 2025 व मिलान क्षेत्रफल व वादी द्वारा पेश शपथ पत्र एवं गवाह शिवसिंह पुत्र उमराव सिंह, निवासी तिसाई, आयु 45 वर्ष का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी द्वारा जो कथन किये गये हैं वह कथन सही है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 72 व 218 वादीगण की पैतृक आराजी है तथा उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हित हिस्सा बनता है। जिसकी खातेदारी प्राप्त करने के वादीगण पात्रता रखते हैं।

14 अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम लसूडिया के खसरा नम्बर 72 रकबा 5.04 बीघा एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 0.16 बीघा आराजी का वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 भगवान सिंह पुत्र बद्री सिंह, निवासी तिसाई का उक्त आराजी में से 1/2 भाग पर नाम कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत वादीगण व प्रतिवादी के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा जावे।

15 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

16 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17 अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृति न्याय के सर्वमान सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में दिनांक 07.12.2016 को अपीलांट (प्रतिवादी) के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा उसके बाद पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 31.10.2017 साक्ष्य वादी में नियत थी किन्तु दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प तिसाई में निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। जबकि विवादित आराजीयात पुश्तेनी आराजीयात नहीं है। जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा बिना तहकीकात किये ही निर्णय पारित कर दिया, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

18 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है।

19 दिनांक 02.05.2019 को पटवारी साहब बंटवारा प्रस्ताव बनाने के लिए मौके पर आये तो अपीलांट ने पटवारी साहब से जानकारी प्राप्त की एवं पटवारी साहब को बंटवारा प्रस्ताव की पालना से रोका तथा उसी दिन अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने अदालत में जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प तिसाई में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया है, जिस कारण दिनांक 02.05.2019 को नकल दरख्वास्त दी गई और नकल प्राप्त की गई तथा रूपयों का इंतजाम कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश की जा रही है, जो अन्दर मियाद मानी जावे। प्रार्थना पत्र मियाद कानून पृथक से मय शपथ पत्र पेश है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20 अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी का जवाब दावा लेकर, तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

21 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.05.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

22 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

23 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया है कि रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 ने अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम लसूडिया, तहसील गंगधार की आराजी खसरा नम्बर 72 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 16 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 6 बीघा में 1/2 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित कराने एवं विभाजन बाबत पेश किया, जिसमें प्रतिवादी अपीलांट की तलबी हो जाने के बाद पत्रावली जवाबदावा पेश करने में चल रही थी, किन्तु दिनांक 07.12.2016 को प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा उसके बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थी, किन्तु दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प तिसाई में कानून के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहकीकात किये बिना ही निर्णय पारित किया है। उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजीयात नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा है। एक तरफा कार्यवाही होने के बाद भी वादीगण को अपना दावा साबित करना होता है। वादीगण ने अपना दावा साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है, जिससे दावा साबित हो सके।

24 दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प तिसाई में दोनों पक्षकार भी उपस्थित नहीं हुए केवल रेस्पोडेंट वादीगण ही उपस्थित हुए थे, राजस्व लोक अदालत में दोनों पक्षों का उपस्थित होना अनिवार्य है एवं दोनों पक्षों की सहमति से ही निर्णय पारित किया जाता है, एक तरफा निर्णय पारित नहीं किया जाता है। रेस्पोडेंट ने सजरा भी गलत बताया है। अपीलांट के रेस्पोडेंट्स वादीगण के अलावा भी और भाई बहिन हैं।

25 अपीलांट के पिता बद्रीसिंह के दो पत्नियां दरयावा बाई एवं कमलाबाई हैं। दरयावा बाई पहली शादीशुदा पत्नी है जबकि कमलाबाई दूसरी नाते की पत्नी है। दरयावा बाई के भगवानसिंह, मदनसिंह, कृपालसिंह पुत्रगण व कांग्रेसबाई, मनोहरबाई पुत्रियां हैं तथा कमलाबाई के बालूसिंह, श्यामसिंह पुत्रगण हैं।

26 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी भाई बहिन का समान अधिकार होता है तथा दूसरी पत्नी को अधिकार नहीं होता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 खारिज की जावे ।

27 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

28 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

29 लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2023 को उपस्थित होवे ।

31 निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा